न्यायालय अनुमंडल पदाधिकारी, महागामा

पी0ए0 केश नं0– 17/16–17

पैट्रिक हॉसदा बनाम् रैयान मौजा–रतनपुर

–: आदेश :–

09.04.2024

वर्तमान वाद आवेदक पैट्रिक हॉसदा, पे0–स्व0 स्व0 कान्दन हॉसदा, सा0–रतनपुर, थाना+अंचल–ठाकुरगंगटी जिला–गोड्डा के आवेदन पर संताल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम के तहत् मौजा–रतनपुर, थाना नं0–275 के प्रधान की मृत्यु के फलस्वरूप रिक्त प्रधानी पद पर नियुक्ति हेतु प्रारंभ किया गया है। प्राप्त आवेदन के आलोक में अंचल अधिकारी, ठाकुरगंगटी से जांच प्रतिवेदन की मांग की गई।

आवेदक के विज्ञ अधिवक्ता को सुना एवं अभिलेख में संलग्न कागजात का अवलोकन किया।

अंचल अधिकारी, ठाकुरगंगटी ने अपने पत्रांक–37/रा0, दिनांक–01.02.2023 के द्वारा जांचोपरांत प्रतिवेदित किया है कि मौजा–रतनपुर, थाना नं0–275 एक प्रधानी मौजा है, जिसके अंतिम नियुक्त ग्राम प्रधान स्व0 पौलुस हॉसदा थे। जिनकी मृत्यु हो चुकी है। आवेदक पैट्रिक हॉसदा, पिता–कान्दन हॉसदा अंतिम नियुक्त प्रधान स्व0 पौलुस हॉसदा के छोटे भाई है। अवेदक इन्नोसेंट हॉसदा पिता–अलमा हॉसदा अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा के पी0ए0 केश नं0–17/1989–90 आदेश दिनांक–13.08.1996 के आधार पर ग्राम धान के पद पर नियुक्ति हेतु दावा कर रहे है। इनका अंतिम नियुक्त ग्राम प्रधान से कोई संबंध नहीं है। आवेदक शिखर हॉसदा की भी अंतिम नियुक्त ग्राम प्रधान से काई संबंध नहीं है। मौजा–रतनपुर, थाना नं0–275 के पूर्व प्रधान स्व0 पौलुस हॉसदा, जिनकी मृत्यु हो जाने के फलस्वरूप उक्त प्रधानी पद रिक्त है। मृत प्रधान के छोटे भाई आवेदक पैट्रिक हॉसदा ग्राम प्रधान पद के लिए नियमानुसार दावेदार हैं। उक्त के आलोक में संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम, 1949 की धारा–06 के तहत् आवेदक पैट्रिक हॉसदा को रिक्त प्रधानी पद पर नियुक्ति हेतु अनुशंसा की गई है।

आवेदक के आवेदन के विरूद्ध उक्त मौजा के 16 आना रैयत से किसी भी प्रकार का वैध आपत्ति प्राप्त नहीं होने तथा अंचल अधिकारी, ठाकुरगंगटी से प्राप्त जांच प्रतिवेदन के आधार पर संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम, 1949 की धारा–6 के तहत् मौजा–रतनपुर नं0–275 का प्रधान आवेदक पैट्रिक हॉसदा को नियुक्त किया जाता है।

अतः नवनियुक्त प्रधान को आदेश दिया जाता है कि उक्त मौजा का वार्षिक खजाना कोषागार में जमाकर चालान की प्रति के साथ संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम, 1949 के तहत् कबूलियत और जमानत दाखिल कर पट्टा प्राप्त करेंगे। तद्नुसार अंचल अधिकारी, ठाकुरगंगटी को सूचित करें।

लेखापित एवं संशोधित।

अनुमंडल पदाधिकारी,
महागामा।

अनुमंडल पदाधिकारी,
महागामा।

Digitally signed by ALOK WARAN KESHRI
Date: 2025.01.03 16:42:25 +05:30
Location: 192.168.1.51